कार्यवृत्त

शुक्रवार, 22 मार्गशीर्ष, शक संवत्, 1940
(दिनांक : 7 दिसम्बर, 2018)

खण्ड–52
अंक–4

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

मा0 अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के मा0 सदस्य गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी बनाने के विषय को स्पष्ट किए जाने के सम्बन्ध में नियम–310 की सूचना को प्राथमिकता पर लिये जाने का अनुरोध करने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि पहले प्रश्नकाल होने दें, परन्तु विपक्ष के मा0 सदस्य अपनी जगह पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे नियम–310 की सूचना को नियम–58 की ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिए गये।

प्रश्नोत्तर काल में आज की कार्यसूची के नत्थी (क) के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर से सन्तुष्ट न होने पर प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त प्रश्न को स्थगित किया गया।

श्री अध्यक्ष ने आज पुनः प्रश्नकाल में कार्यसूची में प्रविष्ट सभी प्रश्नों का उत्तर समयान्तर्गत दिये जाने पर इस उत्कृष्ट संसदीय परम्परा का निर्वहन किये जाने के लिए सभी का धन्यवाद दिया।

संसदीय कार्य मंत्री ने स्व0 श्री अनन्त कुमार, रसायन एवं उर्वरक मंत्री, भारत सरकार के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये।

12 बजकर 15 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

नेता प्रतिपक्ष ने भी शोकोदगार व्यक्त किए।

श्री उपाध्यक्ष ने सदन की संवेदनाओं से अपने को सम्बद्ध करते हुए शोकोद्गार व्यक्त किये और सूचित किया कि सदन में व्यक्त की गई शोक संवेदनाओं को वे उनके परिजनों तक पहुँचा देंगे।

तत्पश्चात सभी मा0 सदस्य दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये दो मिनट मौन खड़े हुए।

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 25 सूचनायें प्राप्त हुई है। मा0 सदस्यों ने आग्रह किया कि चूंकि आज सत्र का अंतिम दिन है अतः सभी सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर ली जायें। इस पर श्री उपाध्यक्ष ने सभी सूचनाओं को सरकार के ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार किया।

मा0 सदस्यों द्वारा उनके नाम के सम्मुख निम्नलिखित सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी–

1. श्री देशराज कर्णवाल	राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा अपने नियंत्रणाधीन आवासीय कालोनियों में समाज कल्याण के आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेश का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में।
2. श्रीमती मीना गंगोला	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के सुकल्याड़ी बैण्ड से पभ्या–मानतोली–गुरैना आगर मोटर मार्ग का निर्माण न होने के सम्बन्ध में।
3. हाजी फुरकान अहमद	जनपद हरिद्वार के रूड़की नगर निगम के रायपुर और

पाडली गुर्जर को नगर निगम क्षेत्र में न मिलाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

4. श्री प्रीतम सिंह पंवार	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल में विशेषज्ञ चिकित्सक/मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5. श्री खजान दास	मा0 उच्च न्यायालय के आदेश पर विभिन्न क्षेत्रों में हटाये गये अतिक्रमण के उपरान्त खुली नालियों को ढकने एवं चौड़ी हुई सड़कों को ठीक किये जाने के सम्बन्ध में।
6. श्रीमती ममता राकेश	उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत होम गार्ड्स का ड्यूटी भत्ता एवं मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
7. श्री आदेश सिंह चौहान	जसपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम शिवराजपुर पट्टी में डिग्री कालेज भवन का निर्माण पूर्ण होने के बाद भी शिक्षण कार्य प्रारम्भ न किये जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
8. श्री मनोज रावत	उत्तराखण्ड प्रदेश में दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन संचालन हेतु जी0एम0ओ0यू0एल0टी0 को दो महत्वपूर्ण मार्गो पर परमिट न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
9. कुंवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'	जनपद हरिद्वार के खानपुर के अन्तर्गत सोलानी नदी के आमखेड़ी घाट पर सम्पर्क सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
10. श्री राजकुमार ठुकराल	ऊधमसिंह नगर जनपद के जिला मुख्यालय रूद्रपुर में ट्रंचिंग ग्राउण्ड (कूड़ा घर) निर्माण हेतु सरकार द्वारा भूमि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
11. श्री राम सिंह कैड़ा	विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत भीमताल में बन्द पड़े उद्योगों को पुनः संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।
12. श्री राजेश शुक्ला	विधान सभा क्षेत्र किच्छा के अन्तर्गत स्थित किच्छा नदी पर विगत छः वर्ष से पुल का निर्माण न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
13. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	विधान सभा क्षेत्र सल्ट के स्याल्दे विकास खण्ड में पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा निःशुल्क प्राप्त की गयी भूमि पर कोई कार्य न किये जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
14. श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी	विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत पॉलीटैक्निक कॉलेज के बंद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
15. श्री दीवान सिंह बिष्ट	विधान सभा क्षेत्र रामनगर मे ंबस अड्डे का निर्माण न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
16. श्री चन्दन राम दास	प्रदेश में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायटों) से प्रशिक्षण ले रहे डी0एल0एड0 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षणोपरान्त प्रदेश के विद्यालयों में नियुक्त्पि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

17. श्री संजय गुप्ता	जनपद हरिद्वार के बिशनपुर कुण्डी ग्राम से गंगा नदी के बाण गंगा नदी के उद्‌गम को बन्द करने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
18. डा0 प्रेम सिंह राणा	उत्तराखण्ड राज्य में रायसिख समुदाय को अशिक्षा और आर्थिक कमजोरी के कारण अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।
19. स्वामी यतीश्वरानन्द	विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत ग्राम सराय में बनाये गये कूड़ा निस्तारण केन्द्र के संचालित न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
20. श्री हरबंस कपूर	देहरादून नगर निगम क्षेत्र में आवारा पशुओं हेतु काजी हाउस का अतिरिक्त निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
21. श्री महेश नेगी	विधान सभा द्वाराहाट के अन्तर्गत विपिन त्रिपाठी राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट की समस्याओं का समाधान न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
22. श्री महेन्द्र भट्‌ट	जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ के मारवाड़ी थैंग मोटर मार्ग का स्वीकृति के 10 वर्ष बाद भी निर्माण न होने पर जनता मे व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
23. श्री पूरन सिंह फर्त्याल	टनकपुर जौलजीबी 2–लेन मोटर मार्ग में ठेकेदार एवं दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
24. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	विधान सभा क्षेत्र सहसपुर में जंगली जानवरों से फसलों को हो रहे नुकसान के कारण व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
25. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	जनपद चमोली के विकास खण्ड देवाल के अन्तर्गत दिनांक 15.10.2018 को पिण्डर नदी पर बने कच्चे पुल को पार करते समय बहे प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम रसूलपुर में भूमिया खेड़ा का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में'' श्री समीम पुत्र श्री नफीस ग्राम रसूलपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम करोंदी में मेन रोड से माता के स्थान तक सी0सी0 सड़क निर्माण करने के सम्बन्ध में" श्री महिपाल, पुत्र श्री फूलसिंह, ग्राम–करोंदी, पो0–भगवानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम दौडबसी में रविदास मन्दिर तक सी0सी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री करण, पुत्र श्री शेरसिंह, ग्राम–दौडबसी, पो0–सिरचंदी, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली में नवसृजित तहसील बालगंगा में अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती के

सम्बन्ध में'' श्री राजेश सिंह पुत्र श्री चतर सिंह ग्राम श्रीकोट गांव जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत ग्राम अठाली विकास खण्ड भटवाड़ी में क्यूला गाड में आपदा में क्षतिग्रस्त पैदल पुलिया के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में'' जयेन्द्र सिंह पंवार पुत्र स्व0 श्री जमन सिंह पंवार, ग्राम–अठाली, पो0 रतूडीसेरा, जनपद उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत देवीधार–रनाडी–अठाली–चामकोट–दिलसौड–मनेरा–जोशियाडा–उत्तरकाशी मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में'' श्रीमती भागदेई पंवार पत्नी श्री जयेन्द्र सिंह पंवार, ग्राम अठाली पो0 रतूडीसेरा जिला उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत धारी तहसील में सुअरों को मारने के सम्बन्ध में'' श्री पान सिंह, पुत्र श्री चिन्ता सिंह, ग्राम–कैड़ा गांव, पो0–जोस्यूड़ा, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत नौकुचियाताल झील की मछलियों को मारने के टैण्डर निरस्त करने के सम्बन्ध में'' श्री नवीन चन्द्र, पुत्र श्री जगदीश चन्द्र, वार्ड न0 3, पो0–नौकुचियाताल, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री राम सिंह कैड़ा, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र भीमताल में स्वीकृत मोटर मार्गों के टैण्डर होने के बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने के सम्बन्ध में'' श्री सतीश सुयाल, पुत्र श्री वृजमोहन, ग्राम व पो0 खनस्यू, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री मनोज रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ऊखीमठ–मनसूना–रांसी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में'' श्री शिव सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह, ग्राम व पो0 रांसी, जिला रूद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री मनोज रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''रूद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र के कार्तिक स्वामी मंदिर और तुंगनाथ क्षेत्र में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में'' श्री शत्रुघन नेगी, पुत्र श्री कुंवर सिंह, जवाहरनगर अगस्तमुनि, जिला रूद्रप्रयागएवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री आदेश सिंह चौहान ने नादेही गन्ना चीनी मिल के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में सरकार द्वारा मा0 सदन में दी गयी गलत सूचना पर विशेषाधिकार हनन की सूचना दी। नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के मा0 सदस्यों ने कहा कि सरकार आये दिन सदन में गलत सूचनायें दे रही है।

12 बजकर 32 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह विषय विशेषाधिकार हनन की परिधि में नहीं आता है वरन निदेश संख्या 162 से आच्छादित होता है जिसके अन्तर्गत मा0 सदस्य किसी मंत्री या मा0 सदस्य के किसी वक्तव्य में किसी त्रुटि की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। श्री अध्यक्ष ने कि यद्यपि यह सूचना विशेषाधिकार हनन की परिधि में नहीं आती है तथापि वे इसका परीक्षण करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि दिनांक 18.09.2018 के उपवेशन में माननीय सदस्य मौ0 काजी निजामुद्दीन द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था कि नियम 300 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं का उत्तर संबंधित मंत्रीगणों द्वारा एक माह के अन्तर्गत दी जाने की व्यवस्था प्रक्रिया संबंधी निदेशों में होने के बावजूद उसका निर्धारित समय में उत्तर नहीं आता है। एक माह तो छोड़िये एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच उत्तर प्राप्त होते हैं। यह गम्भीर विषय है निर्धारित समय के भीतर ऐसी सूचनाओं का उक्त प्राप्त न होने की दशा में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध संबंधित मंत्री द्वारा यथोचित कार्यवाही की जाय।

प्रश्नगत प्रकरण पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया कि नियम 300 के अधीन उत्तर के लिए अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत प्रावधानित सभी निर्देशों का पालन होता है। यदि नियम 300 की कतिपय सूचनाओं का प्रत्युत्तर यदि एक माह में नहीं दिया जाता है तो उसको पुनः सभी विभागों को अनुस्मारक भेजकर निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन हेतु निर्देशित करेंगे।

निश्चित रूप से यह प्रकरण गम्भीर है। माननीय सदस्यों द्वारा नियम 300 के अन्तर्गत अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान हेतु सदन के माध्यम से विषय सरकार के संज्ञान में लाया जाता है, जिनका संज्ञान लेते हुए सरकार से अपेक्षा की जाती है कि ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही के संबंध में उत्तर संबंधित माननीय सदस्यों को प्रक्रिया संबंधित निर्देश संख्या 14 में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर ही दी जाय, परन्तु प्रायः देखने में आ रहा है कि नियम 300 की सूचनाओं का प्रत्युत्तर सम्बधित विभागों द्वारा विलम्ब से दिया जा रहा है, जिसकी शिकायतें कतिपय अन्य माननीय सदस्यगणों द्वारा भी लिखित एवं मौखिक रूप से मेरे संज्ञान में लायी जाती रही है, यह स्थिति ठीक नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय विभागीय अधिकारी सदन के प्रति गम्भीर और जनसमस्याओं के निराकरण के लिए संवेदनशील नहीं हैं। यह कृत्य विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी प्रक्रिया संबंधी निदेशों की अवहेलना की प्रवृत्ति भी परिलक्षित करता है।

संसदीय प्रणाली की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में प्रदेश की सर्वोच्च पीठ विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिश्चय के प्रति कार्यपालिका सदैव गम्भीर रहे यह अपेक्षित है। ये विनिश्चय सदन की सामूहिक भावना तथा अंततः "प्रतिनिधि लोकतंत्र" के अन्तर्गत प्रदेश की सम्पूर्ण जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करते हैं और इनका अनुपालन संवेदनशीलता और गम्भीरता से होना ही चाहिए।

अतः मैं सरकार को पुनः निर्देशित करता हूँ कि पीठ से दिये गये पूर्व एवं वर्तमान सभी विनिश्चयों एवं निर्दशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए जनहित के सभी लंबित प्रकरणों पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें। लंबित प्रकरणों पर सकारात्मक कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत न करने एवं प्रत्युत्तर माननीय सदस्यों को प्रेषित न किये जाने जैसे विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण की व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं संबंधित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही भी करना सुनिश्चित किया जाय जिससे कि सदन के विनिश्चयों की सर्वोच्चता बनायी रखी जा सके।

संसदीय कार्य मंत्री ने सशस्त्र सेना दिवस पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश के सैनिकों के शौर्य एवं बलिदान को याद करने तथा शहीद सैनिकों के परिजनों के कल्याण के लिये सशस्त्र सेना झण्डा दिवस मनाया जाता है। उन्होने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस कल्याणकारी कार्य हेतु सभी के द्वारा यथासम्भव योगदान करना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने भी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह महान दिन भारत के वीर

शहीदों को याद करने और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। उन्होने भी झण्डा दिवस पर अधिक से अधिक योगदान करने पर गल दिया और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्री अध्यक्ष ने भी उक्त विषय पर कहा कि देशवासियों द्वारा सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने ओर सशस्त्र सेना बलों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम करने के उद्देश्य से देशभर में आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण हेतु भारत की जनता से धन–संग्रह के प्रति समर्पित एक दिन है।

यह दिवस 7 दिसंबर 1949 से भारतीय सेना द्वारा देश की सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के कल्याण हेतु मनाया जाता है। प्रारम्भ में यह झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता था परन्तु 1993 से इसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस का रूप दे दिया गया।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर धन का संग्रह सशस़्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को बॅाट कर किया जाता है। झंडे में प्रदर्शित तीन रंग (लाल, गहरा नीला और हल्का नीला) तीनों सेनाओं के प्रतीक हैं। इस दिन झंडे की विक्रय से होने वाली आय को शहीद सैनिकों के आश्रितों के कल्याण में तथा युद्ध वीरांगनाओं, सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिक, युद्ध में अपंग हुए सैनिकों व उनके परिवार पर खर्च की जाती है।

भारतीय सेना में उत्तराखण्ड के वीर सैनिकों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह दिन उन सभी वीर सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन है जिन्होंने सेना में रहकर न केवल सीमाओं की रक्षा की, बल्कि आतंकवाद व उग्रवाद का मुॅहतोड़ जवाब देकर शांति स्थापित करने में अपनी जान न्यौछावर की। हम सभी को झंडा दिवस कोष में अपना अधिकाधिक योगदान देने की आवश्यकता है ताकि शहीदों के परिवारों की सहायता की जा सके साथ ही भारत का तिरंगा हमेशा आसमान की ऊॅचाइयों को छूता रहे और जिस वीरता के लिए हमारा देश जाना जाता है वह हमेशा बनी रहे।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत नेता प्रतिपक्ष डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश, मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री आदेश सिंह चौहान, श्री प्रीतम सिंह, हाजी फुरकान अहमद तथा श्री मनोज रावत की कुल 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से नेता प्रतिपक्ष डा0 इन्दिरा हृदयेश, मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री आदेश सिंह चौहान, श्री प्रीतम सिंह तथा हाजी फुरकान अहमद की सूचना को ग्राह्यता पर सुन लेंगे। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

प्रदेश के जनपद नैनीताल के रामनगर में डेल्टा इलैक्ट्रानिक फैक्ट्री को श्रमिकों के हित प्रभावित होने के दृष्टिगत बन्द किये जाने की अनुमति ने दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर मा0 नेता प्रतिपक्ष ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जपनद उत्तरकाशी अन्तर्गत गंगा घाटी में आलवेदर रोड परियोजना के अधीन ऋषिकेश–चम्बा–धरासू–उत्तरकाशी राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरासू नालू पानी के मध्य तथा बड़ेती चुंगी के पास मोटर मार्ग का निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्था के द्वारा मलवा भागीरथी नदी डाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर श्री प्रीतम सिंह पंवार मा0 सदस्य ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र जसपुर के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय जगतपुरा, जसपुर के निरीक्षण

के दौरान विद्यालय बन्द पाये जाने और अध्यापकों के अनुपथित रहने के सम्बन्ध में नियम–58 की सूचना पर श्री आदेश सिंह चौहान ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में अतिक्रमण के नाम पर आवासीय भवनों को तोड़–फोड़ किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिहं, श्रीमती ममता राकेश तथा हाजी फुरकान अहमद ने विचार व्यक्त किये। शहरी विकास मंत्री के उत्तर भाषण के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

सदन की कार्यवाही 01 बजकर 30 मिनट पर भोजनावकाश के लिये 03:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश तथा विपक्ष के अन्य मा0 सदस्यों ने मा0 सदस्य श्री देशराज कर्णवाल द्वारा बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग न करने पर उनके द्वारा अपने क्षेत्र में मा0 सदस्य ममता राकेश एवं मा0 नेता प्रतिपक्ष के पुतले फुंकने और सोशल मीडिया पर अनर्गल प्रचार करने का विरोध करते हुए उनके द्वारा क्षमा मांगने की मांग की। मा0 सदस्य देशराज कर्णवाल ने इसका विरोध किया और कहा कि उनके बार बार बुलाने पर मा0 नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के मा0 सदस्यों को उक्त कार्यक्रम में बुलाया परन्तु वे उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए। मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि वे इसका परीक्षण करा लेंगे।

इस पर नेता प्रतिपक्ष ने विरोध किया और कहा कि मा0 सदस्य के इस आचरण से उनकी ओर मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। यह कार्यक्रम मा0 सदस्य देशराज कर्णवाल का कार्यक्रम निजी कार्यक्रम था और अगर वे इस कार्यक्रम में किसी कारण नहीं आ सके जो इसके लिए मा0 सदस्य द्वारा पुतला दहन से प्रतिष्ठा को ठेस पहुचाने और उसका सोशल मीडिया में प्रचार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। इसके साथ ही विपक्ष के मा0 सदस्य सदन के 'वेल' में आ गए। मा0 सदस्य श्री देशराज कर्णवाल ने उक्त के संबंध में खेद प्रकट किया।

गैरसैंण को राजधानी बनाने के विषय को स्पष्ट किए जाने के सम्बन्ध में नियम 310 की नियम 58 में परिवर्तित सूचना की ग्राह्यता पर नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्रीमती ममता राकेश, श्री आदेश सिंह चौहान तथा श्री मनोज रावत ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण से संतुष्ट न होने पर विपक्ष के मा0 सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया।

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 को उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 152(2) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक को यह सदन वापस लेता है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गया घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन ''सतत् विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)'' विषय पर विचार आगे प्रारम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि हम इस विषय पर विचार करें इससे पूर्व मैं सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आज की यह चर्चा प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण तो है ही साथ

ही इसका राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयाम भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र का गठन विश्व में शांति की स्थापना के मुख्य लक्ष्य के साथ

हुआ था। समय के साथ–साथ बदलती हुयी वैश्विक परिस्थितियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान युद्ध की ओर से स्थानान्तरित होकर विकास की ओर जाने के दृष्टिगत अब इस महान अन्तर्राष्ट्रीय संख्या का एजेन्डा विकास का एजेन्डा हो गया है। वर्ष 2000 में विश्व के सभी देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र के मंच के तले सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया था जो वर्ष 2015 तक पूरे किए जाने थे।

सम्मानित सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि भारत ने इस सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों में से अधिकांश में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। ये सत्त विकास लक्ष्य मूल रूप से मानव जाति के विकास और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए गए है। यह एक महान साझा प्रयास है जिसमें मानवता के उच्चतम सिद्धान्तों का पालन करते हुए सम्पूर्ण मानव जाति अपने विकास के लिए मिलकर प्रयास कर रही है। भारत की केन्द्र सरकार इसके प्रति पूर्ण रूप से वचनबद्ध है तथा सभी प्रदेश सरकारें भी इस लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही है।

ये 17 सतत विकास लक्ष्य हैं–

1. गरीबी से मुक्ति
2. भुखमरी से मुक्ति
3. बेहतर स्वास्थ्य
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
5. लैंगिक समानता
6. स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता
7. सुलभ एवं स्वच्छ ऊर्जा
8. समुचित रोजगार एवं आर्थिक विकास
9. उद्योग, नवसृजन और बुनियादी ढांचा
10. असमानता का उन्मूलन
11. संवहनीय शहर और समुदाय
12. उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन
13. जलवायु की चुनौती का सामना
14. जलीय जीवन
15. पृथ्वी पर जीवन
16. शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान
17. लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भागीदारी

अतः आज जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो हमें इस बात का पूर्ण अहसास होना चाहिए कि आज की इस चर्चा को प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे विश्व की मानव जाति देखेगी और इसकी चर्चा भविष्य में अनेक वैश्विक मंचों पर की जायेगी कि उत्तराखण्ड प्रदेश के जन प्रतिनिधियों ने मानव जाति के कल्याण के लिए समर्पित इस विचार विर्मश में कौन सी नई पहल की। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आज की यह चर्चा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अत्यन्त सकारात्मक होगी जिससे प्रदेश को इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में गति प्राप्त होगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, परियोजनाओं एवं अन्य प्रयासों के संबंध में विचार व्यक्त किये।

04 बजकर 12 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

मा0 सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान ने भी विचार व्यक्त किये।

04 बजकर 39 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

निम्न मा0 सदस्यों ने भी चर्चा में प्रतिभाग किया –

श्री भरत सिंह चौधरी

श्री राजेश शुक्ला

श्री जार्ज आइवान ग्रेगरीमैन

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि 'सतत विकास लक्ष्य' विषय पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मा0 सदस्य श्री मुन्ना सिह चौहान ने अनुरोध किया कि चूंकि आज सत्र का अंतिम दिन है, अतः सभी सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर ली जायें। इस पर श्री उपाध्यक्ष ने सभी सूचनाओं को सरकार के ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार किया।

प्रदेश में अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) की वैधता 15 दिसम्बर, 2018 को समाप्त होने के कारण बी0एड0 टी0ई0टी0 अभ्यर्थियों के लिये अतिशीघ्र प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री देशराज कर्णवाल,

तहसील कण्डीसौड़ के अन्तर्गत ग्राम भंगर, सरोट, डोबन, जसपुर चक, कण्डार गांव, मल्ला–तल्ला सैंरसारी, मंज्याड़ी, भैटी, खांड, बिड़कोट एवं रमोल गांव आदि में जारी स्थानीय सर्किल रेट में भिन्नता होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिहं पंवार,

देहरादून शहर की दो प्रमुख बिन्दाल व रिस्पना नदी में भूमाफियाओं द्वारा समय–समय पर कब्जे के प्रयास से लड़ाई झगड़े की उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य हाजी फुरकान अहमद,

रूद्रपुर में यातायात नगर (ट्रांसपोर्ट नगर) की स्थापना न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री राजकुमार ठुकराल,

उत्तराखण्ड राज्य सहित विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत कन्याधन की धनराशि वितरित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री राम सिह कैड़ा,

किच्छा में स्थित खुर्फिया फार्म की 15 सौ एकड़ भूमि में सिडकुल द्वारा उद्योग न लगाये जाने एवं भूमिहीनों को आवंटित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री राजेश शुक्ला,

कुमाऊ मण्डल विकास निगम द्वारा सल्ट विधान सभा के इकूखेत व काठकीनांव में गेस्ट हाउसों का निर्माण पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिह जीना,

विधान सभा क्षेत्र रामनगर में राजकीय चिकित्सालय मालधनचौड़ उच्चीकृत हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मालधनचौड़ में वर्तमान समय तक पद सृजन एवं उपकरण एवं साज सज्जा न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री दीवान सिह बिष्ट,

विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के बिन्ता क्षेत्र में बैंक न खुलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री महेश सिंह नेगी,

प्रदेश में बी0पी0एड0 प्रशिक्षितों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री चन्दन राम दास,

विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम झनकट मे सी0सी0 मार्ग का निर्माण न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में मा0 सदस्य डा0 प्रेम सिंह राणा तथा

जनपद चमोली के राजीव गांधी अभिनव विद्यालय, जोशीमठ के छात्रावास की समस्याओं के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री महेन्द्र भट्‌ट

की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया।

विधान सभा क्षेत्र किच्छा के हल्दी स्थित घाटे में चल रहे उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम को अनुदान अथवा 50 करोड़ रूपये का ब्याज रहित ऋण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश शुक्ला, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को दी गई नियम–53 की सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण में 37 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मात्र एक अध्यापक की तैनाती होने के कारण विद्यालय में पटन–पाठन का कार्य बन्द होने के सम्बन्ध में, श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को दी गई नियम–53 की सूचना पर संसदीय काय र्मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन का उपवेशन 05 बजकर 15 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।